

सुखपाल सिंह
बनाम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(आपराधिक अपील संख्या 55/2015)

07 मई 2024

[माननीय न्या. बी.आर. गवई और माननीय न्या. संदीप मेहता]

विचारणीय मुद्दा

अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। विचारण न्यायालयों के लिए क्या यह मानना न्यायोचित है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाही में दर्ज शिकायतकर्ता-अभि.सा.-1 के बयान को ठोस साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है; क्या अभियोजन पक्ष संलिप्तता दर्शाने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में संबंध सिद्ध कर सकेगा।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 299 — अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन — साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 33 — अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की संदिग्ध बेवफाई के कारण उसकी हत्या कर दी, तथापि, वह अपराध स्थल से भाग गया और लगभग 10 वर्षों तक फरार रहा — धारा 299 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उसे भगोड़ा बताया गया — शिकायतकर्ता (अभि.सा.-1) से धारा 299 के तहत कार्यवाही में शपथ पर पूछताछ की गई, जहां उसने अपने द्वारा देखी गई घटनाओं के अनुक्रम का विस्तृत विवरण दिया — हालांकि, अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद फिर से शुरू हुए विचारण में उसे बयान के लिए पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि वह सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद प्राथमिकी में दिए गए पते पर नहीं मिला—धारा 299 के तहत कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए अभि.सा.-1 के बयान को अन्य आपत्तिजनक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अलावा, अपीलार्थी के खिलाफ दोषी ठहराने वाले साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया और अपीलार्थी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया—उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि — धारणीयता:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 299 (1) दो भागों में है, पहला भाग किसी अभियुक्त व्यक्ति के फरार होने के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के सबूत का प्रावधान करता है और दूसरा यह कि उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं थी—यदि उक्त प्रावधान के तहत आदेश पारित किया जाता है, तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में लिए गए किसी भी गवाह के बयान का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है, यदि अभिसाक्षी की मृत्यु हो गई है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसे ढूँढ़ा नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति बिना किसी देरी, खर्च या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों के तहत अनुचित होगा—वर्तमान मामले में, मकसद, अंतिम बार देखा जाना, अपराध स्वीकारोक्ति और अपराध करने के बाद अपराध स्थल से फरार होने आदि की परिस्थितियाँ, सभी गवाह (अभि.सा.-1) द्वारा धारा 299 के तहत कार्यवाही के दौरान शपथ पत्र पर दर्ज किए गए अपने बयान में बताई गई थीं— उनका बयान अपने आप में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो अपीलार्थी के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है – इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 299 के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 33 के आलोक में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मानना न्यायोचित था कि इन कार्यवाहियों में दर्ज अभि.सा.-1 का बयान मूल साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने योग्य था— अभियोजन पक्ष ने विशेष रूप से अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करते हुए और उसकी बेगुनाही या अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साथ पूरी तरह से असंगत संकेत देने वाले संलिप्तता दर्शाने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक ठोस और पूरी श्रृंखला सिद्ध की —आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। [पैरा 31, 36, 38, 39, 47, 48, 50]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 106 – तथ्य को साबित करने का भार, विशेषकर ज्ञान के भीतर – अपीलार्थी रात के समय घर में अपनी पत्नी की हत्या के लिए स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, जब वहां केवल वह और मृतका मौजूद थे, जिसके कारण धारा 106 के आधार पर दोष में हस्तक्षेप हुआ:

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी की पत्नी की हत्या की परिस्थितियाँ उसकी विशेष जानकारी में थीं— उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस तरह से कमरे के भीतर उसकी गला घोटकर हत्या की गई, जहां केवल वह और मृतका मौजूद थे – इस गंभीर रूप से दोषपूर्ण परिस्थिति के स्पष्टीकरण के रूप में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इनकार की स्पष्ट दलील, उसे

धारा 106 के आधार पर उस पर डाले गए भार से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। [पैरा46]

उद्धृत निर्णय विधि

निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य [2000] 2 एससीआर 807:
(2000) 4 एससीसी 41; जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य
और अन्य [2009] 8 एससीआर 591: (2009) 7 एससीसी 104 पर
भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड संहिता, 1860।

मुख्य शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299; अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख; मूल साक्ष्य का भाग; संलिप्तता दर्शाने वाले साक्ष्य; संलिप्तता दर्शाने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में कड़ियाँ; विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का भार; संदिग्ध बेवफाई; भगोड़ा; अभियुक्त का फरार होना; गिरफ्तारी की तत्काल संभावना नहीं; मकसद; आखिरी बार साथ देखा गया; हत्या; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत बयान में अभियुक्त द्वारा गलत स्पष्टीकरण; साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला; घर के अंदर हत्या।

निम्नलिखित से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 55/2015
आप.अ. संख्या 296/2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक
07.01.2010 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों के अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्ता: अम्बरीश कुमार अग्रवाल।
प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण: राजन कुमार चौरसिया, संजय कुमार त्यागी, सुश्री सेक्षा,
मुकेश कुमार मरोरिया

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति न्या. मेहता

1. यह तत्काल अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 296/2003 में पारित दिनांक 7 जनवरी, 2010 के निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक 6 मार्च, 2003 के निर्णय और दोषसिद्धि तथा सजा के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।
2. उक्त निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे 'आईपीसी' कहा जाएगा) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने (व्यतिक्रम की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास) की सजा सुनाई।
3. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा 8 जनवरी, 2015 को अनुमति प्रदान की गई तथा अभियुक्त अपीलार्थी को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।

संक्षिप्त तथ्य:-

4. अभियुक्त अपीलार्थी का विवाह उषा से हुआ था और विवाह से उसके तीन बच्चे पैदा हुए थे। हालाँकि, पति-पत्नी वैवाहिक कलह में उलझ गए और इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी पत्नी उषा को छोड़ दिया और अपने गाँव खट्टा, यू.पी. में रहने लगा।
5. 20 मई, 1990 को भजनपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को पीसीआर से एक वायरलेस संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें रोरी और बदरपुर की दुकानों के बाहर हुई एक घटना के बारे में बताया गया था। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल मोहन लाल, कांस्टेबल जय पाल, भगवान दास और रमेश चंद इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के साथ मकान नंबर जे-387, गली नंबर 14, करतार नगर, दिल्ली पहुंचे, जहां उषा पत्नी सुखपाल (यहां अपीलार्थी) उक्त घर के एक कमरे में चारपाई पर मृत पड़ी मिली। सरसरी तौर पर निरीक्षण करने पर, मृतका उषा की गर्दन, मुंह, कंधे और निजी अंगों पर रगड़, खरोंच और रक्तस्राव से जुड़े अन्य चोट के निशान देखे गए। दाहिने पैर पर घुटने के नीचे घसीटने के निशान भी पाए गए। जिस खाट पर शव पड़ा था, उसके चारों ओर गोलियों की पत्तियां बिखरी हुई पाई गईं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने अपराध स्थल से एक हस्तलिखित नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) बरामद किया है, जिसमें यह संकेत वाला एक कथन

मिलता है कि इसे लिखने वाला ही उषा का हत्यारा था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उक्त नोट अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा लिखा गया था।

6. 20 मई, 1990 को पुलिस अधिकारियों द्वारा मकान संख्या जे-386, गली नंबर 14, करतार नगर, दिल्ली के निवासी अशोक कुमार पाठक का बयान (प्रदर्श अभि.सा.-1/ए) दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मकान संख्या जे-387, गली नंबर 14, करतार नगर, दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में रहते थे, जहां उषा अपने पति सुखपाल (अभियुक्त अपीलार्थी) और तीन बच्चों के साथ पिछले 3-4 वर्षों से रह रही थी। अशोक कुमार पाठक मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स में कार्यरत थे और उन्होंने सुखपाल को उसी फर्म में नौकरी दिलाई थी। सुखपाल को अपनी पत्नी उषा पर बेवफाई का शक था, जिसके कारण अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे और इसलिए सुखपाल अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के खट्टा गांव में रहने लगा था। वह अपनी नौकरी करने के लिए गांव से आया जाया करता था। कभी-कभी वह उषा के पास आकर रहने भी लगता था। कथित घटना से चार दिन पहले सुखपाल उषा से मिलने गया था और उस दिन उषा की बहन (सुधा) भी वहां आई थी। सुखपाल उषा से झगड़कर चला गया। अगले दिन, उषा की बहन सुधा (अभि.सा.-10) उषा के तीनों बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। घटना के एक दिन पहले यानी 19 मई, 1990 को शाम को जब अशोक कुमार पाठक ड्यूटी से लौटे और खाना खाकर फ्री हुए तो करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने देखा कि सुखपाल अपनी साइकिल से उषा से मिलने आया था। पति-पत्नी आंगन में एक खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। वह सोने के लिए छत पर चला गया और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई तो वह नीचे आया तो देखा कि सुखपाल और उषा भी अपने कमरे के अंदर चले गए थे। अगली सुबह यानी 20 मई, 1990 को जब वह अपने दैनिक काम निपटा रहा था, तो उसने सुखपाल की साइकिल आंगन में खड़ी देखी और अनुमान लगाया कि वह और उषा घर के अंदर होंगे। पूरे दिन उसने घर में कोई हलचल नहीं देखी और शाम को करीब साढ़े पांच बजे उसने सुखपाल की साइकिल भी उसी स्थान पर खड़ी देखी, लेकिन न तो सुखपाल और न ही उषा दिखाई दी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिस पर वह कमरे में गए और देखा कि उषा खाट पर मरी पड़ी थी। सुखपाल वहां मौजूद नहीं था। उसने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्हें संदेह था कि सुखपाल (अपीलार्थी) ने रात में किसी समय उषा की हत्या कर दी होगी और भाग गया होगा। इस बयान को एक शिकायत के रूप में लिया गया और उसके आधार पर, धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए

पुलिस स्टेशन भजनपुरा में प्राथमिकी संख्या 213/1990 (प्रदर्श अभि.सा.-13/एफ) दर्ज की गई।

7. उषा के शव का शव-परीक्षण किया गया और शव-परीक्षण आख्या (प्रदर्श अभि.सा.-15/ए) इस उचित राय के साथ प्राप्त हुई कि मृत्यु का कारण "हाथ से गला घोटने के कारण दम घुटना" था। जिस खाट पर शव पड़ा था, उसके नीचे एक इकबालिया खत/नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) पाया गया और उसे ज्ञापन (प्रदर्श अभि.सा.-13/बी) के माध्यम से जब्त कर लिया गया तथा मौके पर निरीक्षण ज्ञापन (प्रदर्श अभि.सा.-12/बी) तैयार किया गया।
8. जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने नियोक्ता संजीव जैन (अभि.सा.-8) से अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से लिखे गए दो पत्र (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) प्राप्त किए। नियोक्ता का नमूना पैड (प्रदर्श अभि.सा.-13/ओ) भी प्राप्त किया गया तथा ज्ञापन (प्रदर्श पी-13/एन) के तहत जब्त कर लिया गया।
9. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अभियुक्त अपीलार्थी अपराध स्थल से भाग गया। उसे ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली और इस प्रकार उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'दं.प्र.सं.' कहा जाएगा) की धारा 82 और धारा 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। अभियुक्त अपीलार्थी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया तथा उसे भगोड़ा दर्शाते हुए धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक, हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सुरेन्द्र कुमार तथा इंस्पेक्टर बाल किशन से दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत कार्यवाही में शपथ पर पूछताछ की गई और फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया।
10. अभियुक्त अपीलार्थी को 9 अगस्त, 2000 को अर्थात् घटना के लगभग दस वर्ष बाद गिरफ्तार किया जा सका। उसने घटना की जगह की ओर इशारा करते हुए एक खुलासा वाला बयान दिया। जब वह पुलिस हिरासत में था तब उसकी नमूना लिखावट (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, 5/ई और 5/एफ) प्राप्त की गई थी। इसके बाद, इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई), नमूना लिखावट (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, अभि.सा.-5/ई और अभि.सा.-5/एफ) के साथ-साथ स्वीकार किए गए लिखावट (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) (अभियुक्त अपीलार्थी के नियोक्ता से एकत्रित) को तुलना के लिए एफएसएल को भेजा गया। लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) ने एक रिपोर्ट (प्रदर्शनी अभि.सा.-12/एफ) जारी की जिसमें कहा

गया कि इकबालिया खत/नोट (अपराध स्थल से बरामद) अभियुक्त अपीलार्थी की लिखावट में था।

11. अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त अपराध के लिए अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय किया। उसने खुद को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले के समर्थन में 48 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।
12. यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक को अभियुक्त अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद फिर से शुरू हुए विचारण में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष का जानबूझकर किया गया कार्य नहीं था, बल्कि यह अभियोजन पक्ष के नियंत्रण से बाहर था। विचारण न्यायालय ने आगे पाया कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक से 17 जुलाई, 1991 को दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत कार्यवाही में शपथ पर पूछताछ की गई थी। इस शपथपूर्ण बयान में, अशोक कुमार पाठक ने 20 मई, 1990 को पुलिस को दिए गए बयान [प्रदर्शन अभि.सा.-1/ए (जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज हुई)] पर अपने हस्ताक्षर साबित किए और अपने द्वारा देखी गई घटनाओं के अनुक्रम का विस्तृत विवरण दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद विचारण कार्यवाही में शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक से पूछताछ नहीं की जा सकी क्योंकि सभी वास्तविक प्रयासों के बावजूद वह प्राथमिकी में दिए गए पते पर नहीं मिले।
13. विचारण न्यायालय ने माना कि चूंकि वास्तविक प्रयासों के बावजूद अशोक कुमार पाठक का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए अभियुक्त अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दर्ज की गई उनकी शपथ बयान को धारा 299 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तदनुसार, उक्त बयान पर अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ संलिप्तता दर्शाने वाले साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था।
14. विचारण न्यायालय ने इकबालिया नोट/खत (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) पर भी भरोसा किया और कहा कि लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) की रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) द्वारा इसे अभियुक्त अपीलार्थी की लिखावट में पाया गया था। उक्त इकबालिया (खत) को एक स्वीकारोक्ति तथा अपीलार्थी के विरुद्ध संलिप्तता दर्शाने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक मजबूत कड़ी माना गया।

15. धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में दर्ज अशोक कुमार पाठक के साक्ष्य और लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) को अभियुक्त के भाग्य को सील करने वाला एक निर्विवाद साक्ष्य माना। मृतका उषा की बहन सुधा (अभि.सा.-10) के साक्ष्य से इसकी पुष्टि की मांग की गई थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की इन संलिप्तता दर्शाने वाली कड़ियों पर भरोसा करके, विचारण न्यायालय ने 6 मार्च, 2003 के निर्णय के तहत अभियुक्त अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
16. अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील को उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने 7 जनवरी, 2010 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा लिखे गए इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) से अपराध में उसकी दोषसिद्धि साबित होती है। अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया था कि अभियुक्त अपीलार्थी मृतका उषा के साथ उसके घर पर था, जहां 19 और 20 मई, 1990 की मध्य रात्रि में उसकी हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी सिद्ध किया कि मृतका की उक्त मध्य रात्रि में हिंसा द्वारा हत्या की गई थी तथा अभियुक्त अपीलार्थी न्याय से बचने के लिए फरार हो गया था, जिससे उसका दोषी आचरण सिद्ध हो गया।
17. अभियुक्त अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ: -

18. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) द्वारा नियुक्त विद्वान विधिक सहायता अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करने के लिए व्यापक प्रस्तुतियाँ दीं। उन्होंने आग्रह किया कि:-
 - i) विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गंभीर तथ्यात्मक त्रुटि की कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक से दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत कार्यवाही में शपथ पर पूछताछ की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह निष्कर्ष पूरी तरह से अभिलेख के विपरीत है क्योंकि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक का बयान, जिस पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है, वास्तव में उक्त गवाह का बयान है, जिसे एसएचओ, पीएस भजनपुरा ने धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया था, जिसे जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में साबित किया था।

- ii) इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) एक मनगढ़ंत साक्ष्य है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त अपीलार्थी के नियोक्ता, यानी संजीव जैन (अभि.सा.-8) से प्राप्त किए गए दो स्वीकृत दस्तावेजों (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) की तुलना इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) से करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह तर्क इस दलील पर बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया गया कि इन दस्तावेजों को एकत्रित करने की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है, क्योंकि जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) को इस बात का कोई अंदाजा नहीं हो सकता था कि अभियुक्त ने मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स में काम किया था।
- iii) लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) और लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) की गवाही विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ ने स्वीकार किए गए लेखों (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) (अभियुक्त अपीलार्थी के नियोक्ता से जब्त) की तुलना इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) से करने के बाद कोई राय नहीं दी।
- iv) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इकबालिया नोट (अभि.सा.-12/ई) और अभियुक्त के नमूना हस्तलेखों (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, अभि.सा.-5/ई और अभि.सा.-5/एफ) की दृश्य तुलना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हस्तलेखों के दोनों सेटों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है, जिससे किसी भी हद तक निश्चितता के साथ यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इन दस्तावेजों को लिखने वाला एक ही था। इस प्रकार उन्होंने आग्रह किया कि लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) की रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) अविश्वसनीय है और उसे अभियुक्त के अपराध की पुष्टि के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
- v) उन्होंने आग्रह किया कि सुधा (अभि.सा.-10) का साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है तथा उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अभियुक्त अपीलार्थी और उषा ने एक दूसरे को तलाक दे दिया था और इस प्रकार यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है कि अभियुक्त अपीलार्थी घटना से कुछ दिन पहले उषा के पास आकर रहा था, जैसा कि सुधा (अभि.सा.-10) ने दावा किया है। उन्होंने आग्रह किया कि सुधा (अभि.सा.-10) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- vi) अभियोजन पक्ष का यह दावा कि अभियुक्त अपीलार्थी फरार है, पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि प्राथमिकी में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मृतका उषा को तलाक देने के बाद अभियुक्त अपीलार्थी अपने गांव खट्टा, उत्तर प्रदेश में रहने लगा था। हालाँकि, जाँच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने अभियुक्त अपीलार्थी को उसके गाँव से पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
 - vii) अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्वीकार किया है कि मृतका उषा देह व्यापार में लिप्त थी और संदीप कुमार उसकी सेवाएं लेता था। उषा की मौत के संदेह में पुलिस ने संदीप कुमार और राजबीर सिंह (अभि.सा.-14) को गिरफ्तार किया था, हालांकि इस पहलू पर उचित जांच नहीं की गई। उनके अनुसार, उषा की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
19. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। संलिप्तता दर्शाने वाली परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए, जिससे एकमात्र निष्कर्ष निकले जो अभियुक्त के अपराध के अनुरूप हो और किसी अन्य के अपराध के साथ असंगत हो। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह श्रृंखला ठोस और पुष्ट साक्ष्यों द्वारा निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, धारणीय नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:-

20. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का प्रबल और जोरदार विरोध किया तथा तर्क दिया कि संलिप्तता दर्शाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला सभी पहलुओं में पूर्ण है जो विशेष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ पेश करते हुए न्यायालय से अपील खारिज करने तथा अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने का अनुरोध किया: -
- i) धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही के दौरान अभि.सा.-1 के रूप में दर्ज अशोक कुमार पाठक के बयान को स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में सही रूप से भरोसा किया गया था। विचारण के दौरान अशोक कुमार पाठक से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष का जानबूझकर किया गया कार्य नहीं है,

बल्कि अभियुक्त अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद नियमित सुनवाई के दौरान गवाह से पूछताछ नहीं की जा सकी। तमाम कोशिशों के बावजूद अभियोजन एजेंसी गवाह का पता नहीं लगा सकी। अशोक कुमार पाठक से पूछताछ न हो पाने का मुख्य कारण अभियुक्तों का लंबे समय तक फरार रहना है।

- ii) शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक ने धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही के दौरान अभि.सा.-1 के रूप में अपने साक्ष्य में अपने बयान [प्रदर्श अभि.सा.-1/ए (जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी)] पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है और इसमें किए गए कथनों के बारे में भी विस्तार से बताया है, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था।
- iii) अशोक कुमार पाठक के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि 19/20 मई, 1990 की मध्य रात्रि में अभियुक्त अपीलार्थी उषा के साथ मौजूद था, जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई और अभियुक्त एक इकबालिया नोट छोड़कर अपराध स्थल से फरार हो गया। अशोक कुमार पाठक ने अपीलार्थी के अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य को भी साबित किया।
- iv) उषा की बहन सुधा (अभि.सा.-10) की गवाही से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी उषा की बेवफाई पर संदेह करते हुए उससे झगड़ा करता था और पति-पत्नी के बीच बार-बार झगड़े होते थे। घटना से चार दिन पहले ही उनके बीच झगड़ा हुआ था। इससे अपीलार्थी द्वारा अपराध करने के लिए जिम्मेदार उद्देश्य को भी साबित किया जा सकता है।
- v) अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अभियुक्त अपीलार्थी और उषा का तलाक हो गया था, सिवाय इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) में इस संबंध में दिए गए एक कोरे बयान के।
- vi) लिखावट विशेषज्ञ दीपा वर्मा (अभि.सा.-24) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) यह साबित करती है कि अपराध स्थल से बरामद किए गए इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) की लिखावट अभियुक्त अपीलार्थी के नियोक्ता से प्राप्त किए गए दो प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) की लिखावट से मेल खाती है और अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा पुलिस को दिए गए नमूना हस्तलेखों (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, अभि.सा.-5/ई और अभि.सा.-5/एफ) से भी मेल खाती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इकबालिया नोट अभियुक्त की लिखावट में है।

21. उन्होंने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध ठोस और संलिप्तता दर्शाने वाले विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके मामला साबित कर दिया है तथा उन्होंने न्यायालय से अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
22. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है।

चर्चा एवं निष्कर्ष:-

23. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान विधिक सहायता अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार अग्रवाल द्वारा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की आलोचना करने के लिए प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों का मुख्य जोर यह था कि दोनों न्यायालयों ने यह मानने में गलती की कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक का बयान धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में शपथ पर दर्ज किया गया था। श्री अग्रवाल के अनुसार, जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) द्वारा केवल शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक का धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान ही प्रस्तुत किया गया तथा वह कभी भी गवाह के कठघरे में नहीं आए।
24. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की इस उत्कट प्रस्तुति को सत्यापित करने के लिए, हमने अभिलेख को ध्यान से देखा और पाया कि इस प्रकार प्रस्तुत की गई प्रस्तुति निराधार है। अभियुक्त अपीलार्थी फरार था और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और इस प्रकार, जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने, अपीलार्थी के गांव यानि खट्टा, यूपी में उसे तामील कराने के प्रयास सहित सभी संभव प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अभियुक्त अपीलार्थी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अभिलेख में उपलब्ध वारंट पर स्पष्ट रूप से अभियुक्त अपीलार्थी का पता खट्टा, प्रहलादपुर, बागपत, उत्तर प्रदेश लिखा है।
25. यहां तक कि धारा 82 और 83 दं.प्र.सं. के तहत उद्घोषणा और कुर्की की कार्यवाही भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अभियुक्त अपीलार्थी अपराध के बाद गायब हो गया था और अपराध स्थल या उसके ज्ञात पते यानी गांव खट्टा, यू.पी. पर उसका पता नहीं चल पाया था। उसके फरार होने के संबंध में तथ्य भी प्रकट किये गये। तदनुसार, धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को भगोड़ा दिखाया गया।

26. विचारण न्यायालय ने 18 मार्च, 1991 को एक आदेश पारित कर अभियुक्त अपीलार्थी को फरार घोषित किया और अभियोजन पक्ष को दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत प्रक्रिया का सहारा लेकर विचारण आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। किसी भी न्यायालय के समक्ष इस आदेश पर कभी सवाल नहीं उठाया गया।
27. विचारण न्यायाधीश ने 17 जुलाई 1991 को धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक का बयान अभि.सा.-1 के रूप में दर्ज किया, उसके बाद उसे शपथ दिलाई गई, जो इस प्रकार शुरू होती है: -
- “श्री अशोक कुमार पाठक, पुत्र श्री राम पूरन, उम्र 28 वर्ष, निवासी करतार नगर, गली नंबर 14, दिल्ली, एस.ए. (शपथ उक्ति)” पर
28. इस बयान पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक के हस्ताक्षर हैं। तीन अन्य गवाहों, हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सुरेन्द्र कुमार तथा इंस्पेक्टर बाल किशन से भी दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत कार्यवाही में शपथ दिलाकर पूछताछ की गई।
29. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की यह जोरदार प्रस्तुति कि अभियोजन पक्ष ने केवल शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक का धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान ही प्रदर्शित किया तथा धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में उनसे कभी शपथ पर पूछताछ नहीं की गई, सरासर अज्ञानता तथा मूल अभिलेख से सही स्थिति का पता लगाए बिना किया गया प्रतीत होता है।
30. दं.प्र.सं. की धारा 299 में स्पष्ट रूप से न्यायालय को निम्नलिखित अवधि में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति प्रदान की गई है: -

“299. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन।— (1)

यदि यह साबित हो जाए कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं है, वह न्यायालय जो शिकायत किए गए अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण करने या उसे विचारण के लिए सौंपने के लिए सक्षम है, उसकी अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्षियों (यदि कोई हों) की परीक्षा कर सकता है और उनके बयान दर्ज कर सकता है और ऐसा कोई भी बयान, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, उस अपराध की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है, जिसका उस पर आरोप है, यदि अभिसाक्षी मर चुका है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसे ढूँढ़ा नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति बिना किसी विलम्ब,

व्यय या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित होगी।

(2) यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी जांच करेगा और ऐसे किसी भी गवाह से पूछताछ करेगा जो अपराध के संबंध में साक्ष्य दे सकता है और इस प्रकार लिए गए किसी भी बयान को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है जो बाद में अपराध का अभियुक्त बनाया जाता है, यदि अभिसाक्षी मर चुका है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या भारत की सीमाओं से बाहर है।

31. धारा 299 दं.प्र.सं. की उपधारा (1) दो भागों में है, पहला भाग किसी अभियुक्त व्यक्ति के फरार होने के संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के सबूत का प्रावधान करता है और दूसरा यह कि उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं थी। यदि उक्त प्रावधान के तहत आदेश पारित किया जाता है, तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में लिए गए किसी भी गवाह के बयान का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है, यदि अभिसाक्षी की मृत्यु हो गई है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसे ढूँढ़ा नहीं जा सकता है या उसकी उपस्थिति बिना किसी देरी, खर्च या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों के तहत अनुचित होगा।

32. इस न्यायालय ने निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि किन परिस्थितियों में और किस विधि से, दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत एक गवाह का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के तहत स्वीकार्य होने के लिए मामले में पेश किया जा सकता था और क्या वे दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

“4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 में दो भाग होते हैं। पहला भाग उन परिस्थितियों का वर्णन करता है, जिनमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच की जा सकती है, तथा दूसरा भाग उन परिस्थितियों का वर्णन करता है, जब ऐसे बयान को उस अपराध के लिए किसी जांच या विचारण में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

299 के अंतर्गत परिकल्पित यह प्रक्रिया साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 में निहित सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि धारा 33 के अंतर्गत, किसी गवाह का साक्ष्य, जिसकी प्रतिपरीक्षा करने का किसी पक्षकार को कोई अधिकार या अवसर नहीं है, विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि अपवाद होने के कारण सभी निर्धारित शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान दर्ज करने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त फरार हो गया है या उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 (1) के प्रथम भाग के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

..... विधि की इस प्रस्तावना पर संभवतः कोई विवाद नहीं हो सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 का लाभ लेने के लिए, उसमें पूर्व शर्तों को विधिवत् स्थापित किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष, जो उक्त कथन को विचारण में साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, को साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले पूर्व शर्तों के अस्तित्व के बारे में साबित करना होगा।.....

..... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के मात्र अवलोकन से, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दोनों धाराओं में पूर्व शर्तें अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जानी चाहिए और केवल तभी, अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद विचारण में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जब व्यक्ति मर चुके हों या उपलब्ध नहीं होंगे या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 (1) के दूसरे भाग में उल्लिखित कोई अन्य शर्त स्थापित हो।....”

(जोर दिया गया)

33. इसके अलावा, जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था: -

“25. यह भी किसी भी संदेह से परे है कि संहिता की धारा 299 के प्रावधानों की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए, और इस प्रकार, उनका ईमानदारी से अनुपालन अनिवार्य है। यह क़ानून की व्याख्या

का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि वैधानिक प्रावधान में परिभाषित किसी भी शब्द को सामान्यतः अन्य प्रावधानों की व्याख्या करते समय वही अर्थ दिया जाना चाहिए, जहां वही शब्द प्रयुक्त हुआ हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी भी अन्य तथ्य की तरह, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना होगा और किसी कानून द्वारा साबित किए जाने वाले तथ्य के संबंध में न्यायालय द्वारा एक निश्चित स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। किसी साक्ष्य का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा उस पर विचार करना तथा साक्ष्य के उस भाग पर भरोसा करने के लिए सामग्री का विश्लेषण और/या उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है।

29. निस्संदेह, संहिता की धारा 299 के प्रथम भाग में निहित दोनों शर्तों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि वियोजनात्मक रूप से। किसी एक आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त नहीं होनी चाहिए....”
(जोर दिया गया)

34. अशोक कुमार पाठक का दिनांक 17 जुलाई, 1991 को धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में दर्ज बयान इस प्रकार है: -

“मैं पिछले सात वर्षों से भागीरथ प्लेस स्थित दवाइयों की दुकान मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स में सेल्समैन/सप्लाय मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में अभियुक्त सुखपाल अपनी पत्नी उषा और बच्चों के साथ इस मामले से पहले पिछले 3/4 वर्षों से मकान नंबर 387 गली नंबर 14 करतार नगर में रहता था। उसकी दो बेटियाँ और एक बेटा था। बाद में उसने मेरी सहायता से मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स, भागीरथ प्लेस में भी नौकरी कर ली। अभियुक्त को अपनी पत्नी श्रीमती उषा पर बेवफाई का शक था और इस कारण उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे हमेशा एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे। इस मामले के घटित होने से पूर्व अभियुक्त अपनी पत्नी श्रीमती उषा तथा तीन बच्चों को उपरोक्त घर पर छोड़कर अपने गांव खट्टा, उत्तर प्रदेश चला गया था तथा वहीं से अपनी दुकान पर आता था। कभी-कभी वे अपनी पत्नी उषा के साथ उनके घर आते थे। इस घटना से करीब चार दिन पहले अभियुक्त सुखपाल अपने घर आया था, जहां उषा की बहन भी उसके घर पर उषा के साथ मौजूद पाई गई थी और उस दिन सुखपाल का अपनी पत्नी उषा से झगड़ा हुआ था और वह

वापस लौट आया था। अगले दिन उषा की बहन भी उषा के तीन बच्चों के साथ अपने घर चली गयी, अपनी बहन को घर पर अकेला छोड़ गई।

दिनांक 19.5.1990 को रात्रि लगभग 10.30 बजे, मैंने देखा कि अभियुक्त उषा और सुखपाल जो साइकिल से अपने घर आये थे, अपने घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठे हुए अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे और मैं अपने घर की छत पर जाकर सो गया। रात को जब बारिश शुरू हुई तो मैं छत से नीचे आया और देखा कि अभियुक्त सुखपाल अपनी पत्नी उषा के साथ अपने कमरे में जा रहा है। दोनों अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह छुट्टी (रविवार को छुट्टी) होने के कारण मैं कुछ देर से उठा और अपने दैनिक काम में लग गया। मैंने देखा कि सुखपाल की साइकिल उसके घर के आंगन में खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद वे दोनों अपने कमरे में होंगे। दोपहर को मैंने फिर देखा कि सुखपाल की साइकिल घर के आंगन में खड़ी थी, लेकिन उनमें से कोई भी अपने कमरे के बाहर नहीं दिखाई दिया। शाम को करीब साढ़े पांच बजे जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनके घर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। जब मैं उषा के कमरे में गया तो देखा कि श्रीमती उषा चारपाई पर मृत पड़ी थीं और अभियुक्त सुखपाल वहां से गायब था। मैंने आस-पास के लोगों को सूचित किया जिन्होंने पुलिस को फोन किया। अभियुक्त सुखपाल रात में अपनी पत्नी उषा की हत्या करने के बाद घर से भाग गया था। पुलिस वहां आई और कार्यवाही पूरी की। मैंने पुलिस को दिया गया अपना बयान सुरक्षित रख लिया है और मैंने अपने बयान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो कि प्र.अभि.सा.-1/ए है और सही है। वहां मोहल्ले के अन्य लोग भी इकठ्ठा हुए।

श्रीमती उषा के गले, कंधे और गर्दन पर कई चोटें थीं। बिस्तर की चादर पर खून लगा हुआ था, जिस पर दवाइयां बिखरी हुई थीं तथा चारपाई के नीचे अभियुक्त सुखपाल द्वारा अपनी पत्नी उषा की हत्या के संबंध में हिंदी में लिखा पत्र भी मिला।

मैं उस पत्र पर सुखपाल की लिखावट पहचानता हूँ, क्योंकि वह मेरे साथ उक्त दवा की दुकान पर काम करता था, जहाँ हम दस्तावेज़ तैयार करते और लिखते थे। मैंने उसे मेरे साथ उक्त दुकान पर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते और लिखते हुए देखा है। पुलिस ने उस पत्र को ज्ञापन

प्र.अभि.सा.1/बी के ज़रिए ज़ब्त कर लिया और मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

अभियुक्त सुखपाल की एक पुरानी साइकिल एवन को एक मेमो द्वारा ज़ब्त कर लिया गया जो कि प्र.अभि.सा..1/डी. है। मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने अभियुक्त को पहले भी उस साइकिल का उपयोग करते देखा था और इसलिए मैं इस मामले को अभियुक्त सुखपाल का मानता हूँ। वहाँ उपस्थित सुरिंदर कुमार ने भी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक 22.5.1990 को मैं अपनी ड्यूटी पर मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स की दुकान, 1696/8 प्रथम तल मोहन बिल्डिंग भागीरथ प्लेस पर मौजूद था, जहाँ अभियुक्त सुखपाल भी काम करता था। उस दिन पुलिस अधिकारी उस दुकान पर गये जहाँ उक्त दुकान के मालिक संजीव कुमार ने पुलिस को दो पत्र दिये। एक पत्र सुखपाल द्वारा मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स को नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए लिखा गया आवेदन था तथा दूसरा पत्र 12.6.89 को आर.पी. एसोसिएट्स को संबोधित करते हुए लिखा गया था जिसमें उनसे नौकरी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। ये दोनों पत्र अभियुक्त सुखपाल द्वारा लिखे और हस्ताक्षर किये गये थे। मैं उसकी लिखावट और उस पर हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। ये पत्र प्र.अभि.सा./ई और प्र.अभि.सा./एफ हैं। इन पत्रों को ज्ञापन प्र.अभि.सा.1/छ के माध्यम से ज़ब्त कर लिया गया और मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सुखपाल द्वारा पुलिस अधिकारी को संबोधित पत्र, जिसे पुलिस ने मौके से ज़ब्त किया है, एक्स.पी.1 है, जिसे ज्ञापन प्र.अभि.सा.1/बी के तहत कब्जे में लिया गया। उपरोक्त दुकान के मालिक संजीव जैन ने पुलिस को लेटर पैड का एक पेज पेश किया, जिसने उसे ज्ञापन एक्स अभि.सा.1/एच के माध्यम से ज़ब्त कर लिया और मैंने उस पर हस्ताक्षर किए।

35. अशोक कुमार पाठक का कथन (पुनः प्रस्तुत) निम्नलिखित परिस्थितियों का सकारात्मक एवं अटल प्रमाण देता है: -

- i) अभियुक्त अपीलार्थी सुखपाल का विवाह उषा (मृतका) से हुआ था।
- ii) उषा की संदिग्ध बेवफाई के कारण पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह चल रहा था और इस आधार पर वे एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे। अभियुक्त अपीलार्थी अपनी पत्नी उषा और अपने तीन बच्चों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के खट्टा गांव

में रहने लगा। अभियुक्त को उषा की बेवफाई पर संदेह था, जिससे उसकी हत्या के पीछे मजबूत मकसद का पता चलता है।

- iii) अशोक कुमार पाठक ने अभियुक्त अपीलार्थी को मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स में नौकरी दिलवाई थी।
 - iv) कलह और कटु संबंधों के बावजूद, अभियुक्त अपीलार्थी अक्सर अपनी पत्नी उषा से मिलने आता था और उसके साथ रहता था। घटना से चार दिन पहले वह उषा के पास आया और उसके साथ रहा और उस समय उषा की बहन सुधा भी मौजूद थी। सुखपाल ने उसकी बहन की मौजूदगी में उषा से झगड़ा किया और फिर चला गया।
 - v) घटना से एक दिन पहले भी अभियुक्त अपीलार्थी मकान संख्या जे-387, गली नंबर 4, करतार नगर, दिल्ली में आया था जहां कथित घटना घटी थी और वह उषा के साथ रुका था।
 - vi) गवाह अशोक कुमार पाठक ने अभियुक्त अपीलार्थी को घर के आंगन में अपनी साइकिल खड़ी करते देखा। उसने अभियुक्त अपीलार्थी (सुखपाल) और पत्नी (उषा) को आंगन में एक खाट पर बैठकर आपस में बात करते भी देखा। तभी बारिश होने लगी तो दोनों आंगन से घर के अंदर जाते दिखे। अगली सुबह, न तो अभियुक्त अपीलार्थी और न ही उषा कहीं नजर आईं।
 - vii) शाम को गवाह उषा के घर गया तो देखा कि उसकी लाश चारपाई पर पड़ी थी और शरीर पर कई चोटें थीं, जबकि अभियुक्त अपीलार्थी गायब था। अभियुक्त अपीलार्थी की साइकिल अभी भी घर के आंगन में खड़ी थी।
 - viii) जिस खाट पर शव पड़ा हुआ था, उसके नीचे हत्या की बात कबूल करने वाला एक हस्तलिखित नोट (प्र. अभि.सा.-12/ई) मिला। गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नोट अभियुक्त अपीलार्थी की हस्तलिपि में लिखा गया था, जिसे गवाह पहचानने में सक्षम था क्योंकि दोनों ने एक ही दुकान (मेसर्स आर.पी. एसोसिएट्स) में काफी समय तक एक साथ काम किया था।
36. इस प्रकार, अपराध करने के बाद अपराध की मंशा, अंतिम बार देखा जाना, अपराध कबूलना और अपराध स्थल से फरार होने की परिस्थितियाँ सभी गवाह अशोक कुमार पाठक (अभि.सा.-1) द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1991 को दिए गए अपने बयान (ऊपर प्रस्तुत) में बताई गई हैं, जिसे धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही के दौरान शपथ पत्र पर दर्ज किया गया था। यहाँ यह कहा जा सकता है

कि अशोक कुमार पाठक के पास उषा की हत्या के लिए अभियुक्त अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई भी मकसद नहीं था।

37. उषा की हत्या से संबंधित तथ्य विवाद का विषय नहीं है। मेडिकल ज्यूरिस्ट (अभि.सा.-15) ने स्पष्ट रूप से बताया कि उषा की गला दबाकर हत्या की गई थी और मौत का कारण दम घुटना था। इसलिए, हमें चिकित्सा साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
38. अशोक कुमार पाठक का बयान अपने आप में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जो अभियुक्त अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है। अभियुक्त अपीलार्थी अपराध स्थल से गायब हो गया तथा लगभग 10 वर्षों तक फरार रहा। उन्हें 9 अगस्त, 2000 को गिरफ्तार किया जा सका, जिसके बाद नियमित सुनवाई हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी की फरारी की अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता अशोक कुमार पाठक ने करतार नगर, दिल्ली स्थित अपना घर छोड़ दिया था, जहाँ वह पहले रहता था। जांच एजेंसी द्वारा अशोक कुमार पाठक को बुलाने और उनसे पूछताछ करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका और अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद विचारण के दौरान गवाही के लिए उन्हें कठघरे में पेश नहीं किया जा सका।
39. निर्मल सिंह (पूर्वोक्त) और जयेन्द्र विष्णु ठाकुर (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के साथ धारा 299 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के प्रकाश में देखा जाए तो, विचारण न्यायालय का यह मानना उचित था कि इन कार्यवाहियों में दर्ज अशोक कुमार पाठक का बयान ठोस साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने के लिए उपयुक्त था। हम इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं।
40. मृतका उषा की बहन सुधा (अभि.सा.-10) ने भी बताया कि अभियुक्त अपीलार्थी अपनी पत्नी उषा पर बेवफाई का शक करते हुए उससे झगड़ा करता था। गवाह ने यह भी बताया कि अभियुक्त अपीलार्थी घटना से लगभग चार दिन पहले उसकी मौजूदगी में उषा के घर आया था और उषा से झगड़ा करके चला गया था। इस प्रकार, इस गवाह के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हत्या क्यों की। उसकी गवाही यह निष्कर्ष निकालने के लिए भी पर्याप्त है कि पति और पत्नी के बीच कटु संबंधों के बावजूद, अभियुक्त अपीलार्थी खट्टा गांव, उत्तर

प्रदेश, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर रह रहा था, से अक्सर उषा से मिलने आता था।

41. अभियुक्त अपीलार्थी के नियोक्ता, गवाह संजीव जैन (अभि.सा.-8) ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने जांच के दौरान उससे अभियुक्त के स्वीकृत लेख (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और प्रदर्श अभि.सा.-12/डी) प्राप्त किए थे। संजीव जैन (अभि.सा.-8) के पास इस मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई भी मकसद नहीं था। उन्होंने अभियुक्त को रोजगार दिया था, जिस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। संजीव जैन (अभि.सा.-8) का कथन कि जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने अभियुक्त द्वारा उनकी दुकान में कार्य करते समय लिखी गई लिखावट/दस्तावेज प्राप्त किए थे, इसकी पुष्टि दं.प्र.सं. की धारा 299 के तहत कार्यवाही में दर्ज अशोक कुमार पाठक के बयान से होती है।
42. अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि संदीप कुमार और राजबीर सिंह (अभि.सा.-14) नामक दो व्यक्ति उषा के साथ अवैध संबंध में शामिल थे और उन्होंने उसकी हत्या की होगी, आधारहीन है, क्योंकि अशोक कुमार पाठक द्वारा धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज की गई गवाही में जो कहा गया है, उसके मद्देनजर यह स्पष्ट है कि जिस रात उषा की हत्या हुई, उस रात अभियुक्त अपीलार्थी के अलावा कोई भी उसके साथ घर में मौजूद नहीं था।
43. जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने 9 अगस्त, 2000 को अर्थात् घटना के 10 वर्ष से अधिक समय बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को विधिवत सिद्ध किया।
44. अभियुक्त अपीलार्थी के नमूना लेखन (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, 5/ई और 5/एफ) को जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद विधिपूर्वक प्राप्त किया गया था और इन सभी दस्तावेजों को आरोप पत्र के साथ अभिलेख पर रखा गया था। अपराध स्थल से बरामद इन नमूना लेखों (प्रदर्श अभि.सा.-5/डी, 5/ई और 5/एफ) और अभियुक्त अपीलार्थी के स्वीकार किए गए लेखों (प्रदर्श अभि.सा.-12/सी और अभि.सा.-12/डी) के साथ-साथ इकबालिया नोट (प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) को तुलना के लिए लिखावट विशेषज्ञ (अभि.सा.-24) के पास भेजा गया था, जहां से एक रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार इन दस्तावेजों पर की गई लिखावट एक-दूसरे से मेल खाती हैं। जैसा कि विधि के तहत अपेक्षित है, लिखावट विशेषज्ञ दीपा वर्मा से गवाह (अभि.सा.-24) के रूप में पूछताछ की गई और उन्होंने रिपोर्ट (प्रदर्श अभि.सा.-12/एफ) को साबित करते हुए यह तथ्य सिद्ध किया कि अपराध स्थल से बरामद इकबालिया नोट

(प्रदर्श अभि.सा.-12/ई) की लिखावट नमूने और स्वीकारोक्ति लेखन पर अभियुक्त अपीलार्थी की लिखावट से मेल खाती है।

45. जांच अधिकारी (अभि.सा.-13) ने जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपने द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को साबित करने वाले निर्विवाद साक्ष्य दिए, ताकि अभियुक्त अपीलार्थी को उषा की हत्या से जोड़ा जा सके। यह तथ्य कि अभियुक्त अपीलार्थी हत्या से पहले वाली रात को उषा के साथ मौजूद था, अशोक कुमार पाठक के बयान से दृढ़तापूर्वक सिद्ध होता है। हत्या के बाद वह फरार हो गया और लगभग 10 वर्षों तक उसका पता नहीं चल सका, जो उसकी दोषी मानसिकता की ओर इशारा करता है।
46. उषा की हत्या की परिस्थितियाँ अपीलार्थी की विशेष जानकारी में थीं। उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस तरह कमरे के अंदर उषा की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जहां केवल वह और मृतका मौजूद थे। इस गंभीर रूप से संलिप्तता दर्शाने वाली परिस्थिति के स्पष्टीकरण के रूप में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया इनकार का कोरा तर्क, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आधार पर उस पर लगाए गए भार से उसे मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
47. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा दृढ़ मत है कि अभियोजन पक्ष ने संलिप्तता दर्शाने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में निम्नलिखित कड़ियाँ सिद्ध की हैं: -
 - i) उद्देश्य;
 - ii) अंतिम बार एक साथ देखा जाना;
 - iii) चिकित्सीय साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि मृतका की मृत्यु का कारण हत्या थी।
 - iv) इकबालिया नोट;
 - v) लगभग 10 वर्षों से फरार;
 - vi) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान में अभियुक्त द्वारा गलत स्पष्टीकरण दिया जाना;
 - vii) रात्रि के समय अपनी पत्नी की हत्या के लिए अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न देना, जबकि घर में केवल अभियुक्त और मृतका ही उपस्थित थे, जिसके कारण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अन्तर्गत दोष का निराकरण नहीं हो सका।

48. एक साथ जुड़े हुए, ये सभी तथ्य अपराध सिद्ध करने वाली परिस्थितियों की एक निर्णायक और पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं, जो विशेष रूप से अभियुक्त अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करते हैं तथा उसकी निर्दोषता या अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साथ पूरी तरह से असंगत हैं।
49. परिणामस्वरूप, हमें उषा की हत्या के आरोप में अभियुक्त अपीलार्थी को दोषी ठहराने और उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करने में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।
50. आक्षेपित निर्णयों में कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
51. इसलिए, अपील विफल हो जाती है और इसे ऐसे ही खारिज किया जाता है।
52. अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। उसे सजा की शेष अवधि काटने के लिए अगले 60 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। यदि अपीलार्थी उपर्युक्त अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसे गिरफ्तार करने और उसे सजा पूरी कराने के लिए कदम उठाएगा।
53. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान कर दिया जाएगा।

इनके द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स: दिव्या पांडे

मामले का परिणाम:
अपील खारिज कर दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.